



PROSPECTUS 2022-23

Undergraduate Admission Guidelines

1 महत्वपूर्ण निर्देश

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1.1 प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा नियमों के अनुसार हैं।
The instructions related to the admissions given here are as per the Act, Ordinances, Rules & Regulations of the University.
- 1.2 यदि आप आरक्षण (reservation) का लाभ चाहते हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।
If you want benefit of reservation, then give details of related certificates during filling of the online application form. No candidate will get permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted.
- 1.3 प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
The detailed information of the admission procedure will be displayed on the College website www.jnpg.org.in. Candidates are advised to check for updates regularly on the College website
- 1.4 योग्यता सूची घोषित होने पर उसकी प्रति महाविद्यालय के वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। योग्यता सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जायेगी। प्रवेश इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे

After declaration of the merit list a copy of the list will be displayed on the College website. The candidate himself/herself will find his/her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper. Admission will be based on the marks obtained in intermediate or equivalent exam.



- 1.5 वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

The Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy layer) candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates of other States will be treated as general

- 1.6 आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार / लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

The reservation shall be given as permissible under the Uttar Pradesh Government / University of Lucknow Rules,

- 1.7 जाति तथा आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।

Caste and income certificates shall be verified on Government website,

- 1.8 पंजीकरण के समय जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा

All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances. Registration fee is non transferable between courses.

- 1.9 रेगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken against the students who indulge in incidence like ragging during studentship.

2. सामान्य सूचना GENERAL INFORMATION

- 2.1 महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है।

The College reserves right to change or amend the admission rules at any time without prior notification.

- 2.2 यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं / अनुचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश पाता है तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध IPC की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



If any candidate gets admission on the basis of false information/improper means or on the basis of false mark-sheet/certificates, his/her admission will be treated cancelled from the beginning and legal action will be taken against him/her under IPC..

2.3 योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा :

Order of Merit will be determined as follows:

a.	यदि अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किया है। If marks secured in class 12 or equivalent examination or polytechnic diploma are the same, in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at High School or equivalent examination.
b.	यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक भी बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। If the marks obtained in High School or equivalent examination are also the same, then in that case the older candidate will be given priority.

2.4 महाविद्यालय के पास किसी भी प्रवेश को किसी भी अवस्था में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

College reserves the right to cancel any admission at any stage.

2.5 प्रवेश से सम्बन्धित अध्यादेश के प्रावधानों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में सभी विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य व प्रवेश समिति को सौंपे जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

All disputes regarding interpretation of provision of Ordinance related to the admissions shall be referred to the Principal/Admission Committee of the College and their decision shall be final.

2.6 विधि संकाय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी एक ही समय में किसी अन्य स्नातक या परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा या लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या अन्य किसी विश्वविद्यालय या अकादमिक या व्यवसायिक शिक्षा वाले संस्थान के सर्टिफिकेट कोर्स में विधि स्नातक कार्यक्रम के साथ-साथ नामांकित नहीं हो सकते हैं।

In case of students seeking admission to the Faculty of Law, he/she shall not be allowed to simultaneously register for a Law degree program with any other graduate or



post graduate degree/diploma or even a certificate course run by the University of Lucknow or any other University or an Institute for academic or professional learning.

- 2.7 हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रयागराज अथवा नदवा कालेज, लखनऊ से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने यदि अंग्रेजी भाषा के साथ इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

If the candidate has passed out from Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, Prayagraj or Nadwa College, Lucknow & has not passed Intermediate Exam with English language then he/she will not be eligible for admission.

- 2.8 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक सभी विदेशी छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। महाविद्यालय में पठन-पाठन का माध्यम हिन्दी व अंग्रेजी है।

All foreign students seeking admission in the College are compulsorily required to have knowledge of Hindi or English language. Medium of study in College is Hindi and English.

2.9 विधि संकाय में प्रवेश के लिए FOR ADMISSION TO THE FACULTY OF LAW

a.	प्रवेश प्रक्रिया के लिए यूजीसी / बीसीआई / एनसीटीई के सुसंगत नियम (समय-समय पर संबोधित) बाध्यकारी होंगे। The relevant UGC/BCI/NCTE rules (as amended from time to time) shall be binding.
b.	भारण: उत्कृष्ट खिलाड़ी, एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण पत्र धारक विधि संकाय में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों को भारण के फलस्वरूप उनके द्वारा कम्बाइन्ड मेरिट में अर्जित प्राप्तांक का क्रमशः 5%, 2.5%, 5% जोड़कर उनका योग्यता क्रमांक योग्यता सूची में निर्धारित किया जायेगा। Weightage: The final merit of the candidates bearing the Outstanding sports person, N.C.C 'B' certificate and girl candidates of Faculty of Law will be determined in the merit list by adding 5%, 2.5%, 5% of the total marks obtained by him/her in the combined merit.

- 2.10 प्रवेश शुल्क की वापसी के प्रार्थना पत्र प्रवेश प्राप्ति के केवल 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राप्त होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रवेश शुल्क की वापसी जमा शुल्क में 10% की कटौती करके होगी, प्रतिबन्ध यह है कि विद्यार्थी की किसी भी कक्षा में उपस्थिति अंकित न हुई हो। यदि अभ्यर्थी ने काउंसलिंग करवा ली है तथा रसीद प्राप्त कर ली है तो केवल परीक्षा शुल्क तथा नामान्कन शुल्क वापस होगा।

The request for refund of fees to withdrawal from the course shall only be entertained if made within 30 days from the date of admission. The refund is subjected to 10%



deduction of fee deposited, provided the student has not attended the classes. If student has participated in the counseling and get final fee receipt, in that case only examination and enrollment fee will be refund.

2.11 प्रवेश से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

All the legal matters pertaining to the admission shall be subject to Lucknow Judicature only.

3. भारण एवं आरक्षण नीति / WEIGHTAGE AND RESERVATION POLICY

3.1 भारण / Weightage

a.	उत्कृष्ट खिलाड़ी Outstanding sportsperson	अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5% 5% of marks obtained in qualifying examination.
b.	एन.सी.सी. का 'बी' सर्टीफिकेट धारक N.C.C. 'B' Certificate holders	अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 2.5 % 2.5% of marks obtained in qualifying examination.
c.	विधि संकाय में प्रवेश हेतु छात्राओं को दिया जाने वाला भारण Weightage given to the girls applying for Faculty of Law,	अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंको का 5 % 5% of marks obtained in qualifying examination.

3.2 उर्ध्वाधर आरक्षण / Vertical Reservation

सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे।

All reservations would be given as per State Government policies and University guidelines.

अनुसूचित जाति Scheduled Caste	21%
अनुसूचित जनजाति Scheduled Tribe	02%
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) Other Backward Caste (Non Creamy Layer)	27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) Economically Weaker Sections(EWS)	10%



3.3 उर्ध्वाधर आरक्षण के नियम / Guidelines for Vertical Reservation

a.	<p>अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति / जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।</p> <p>The Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class (Non Creamy layer) candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class (Non Creamy layer) candidates of other States will be treated as general.</p>
b.	<p>अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदकों को काउंसलिंग के समय 1 जुलाई 2019 को अथवा उसके बाद जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी का प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2019 से पहले का जारी है वो वह वैध नहीं माना जायेगा।</p> <p>Applicants of OBC (Non Creamy Layer) category would require the certificate issued on or after July 1, 2019 at the time of counseling. Certificate issued before July 1, 2019 will not be considered.</p>
c.	<p>सामान्य वर्ग के आवेदक जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:</p> <p>Applicants of the General category who want to claim the benefit of the EWS reservation have to upload the following documents during filling of online application forms:</p> <ol style="list-style-type: none">सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू. एस.) का प्रमाण पत्र। EWS certificate issued by the appropriate authorityस्व-घोषणा पत्र Self-declaration Certificateऑनलाइन आय प्रमाण पत्र अनिवार्य Online income certificate is compulsory, after verification of income certificate the weightage of EWS will be given. Manual income Certificate is not valid.

3.4 क्षैतिज आरक्षण / Horizontal Reservation

महाविद्यालय के नियमित अध्यापको/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति Son/daughter/spouse of permanent College Teachers/Employees	महाविद्यालय के नियमानुसार As per College Rules
---	---



लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापकों के पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति Son/daughter/spouse of LU affiliated Govt./Aided Colleges of University of Lucknow and Govt Ayurvedic College	लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमानुसार As per University Rules
विकलांगों के लिए (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए) Physically Handicapped / Disabled (including 1% for blinds)	5%
उ०प्र० के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्री / पौत्र / अविवाहित पौत्री के लिए Son/daughter/Grandson/Granddaughter of Freedom Fighters from U.P.	2%
सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए Son / Daughter of Retired Defence Personnel or Physically Handicapped Defence Personnel or Defence Personnel killed in war or Defence Personnel posted in U.P.	5%

3.5 प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी

Competent authorities for issuance of certificates

उत्कृष्ट खिलाड़ी Outstanding Sportsperson	सक्षम अधिकारी Competent Authority
विकलांग Physically Handicapped	जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी Chief Medical Officer of District
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी Freedom Fighter	जिलाधिकारी District Magistrate
एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण पत्र N.C.C. 'B' Certificate	सक्षम अधिकारी Competent Authority
अनुसूचित जाति Scheduled Caste	जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar



अनुसूचित जनजाति Scheduled Tribes	आरक्षण प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा। Reservation certificate shall be verified on internet.
अन्य पिछड़ा वर्ग Other Backward Caste	आरक्षण प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा। Reservation certificate shall be verified on internet.
आय-प्रमाणपत्र (छ.माह के अन्दर का) Income Certificate (within 6 months)	आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा। Income certificates shall be verified on internet.
विश्वविद्यालय के अध्यापक / कर्मचारी Teachers / Employees of University	कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश के वर्ष के 01 मार्च या उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। Registrar, University of Lucknow. The certificates issued on or after 1st March of the year of admission will only be considered.
राजकीय अनुदान प्राप्त लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय Teacher of the affiliated Govt./Aided Colleges of University of Lucknow	महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत प्रवेश के वर्ष के 01 मार्च या उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। Competent authority Principal of the college. The certificates issued on or after 1st March of the year of admission will only be considered.

3.6 निम्नलिखित श्रेणी के खिलाड़ियों (छात्र एवं छात्राओं) को खेल के आधार पर भारण विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

The weightage will be given according to the rules of University to the players of the Following categories:

a.	ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जनपद में चयन के पश्चात क्षेत्रीय टीम की ओर से अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पिछले दो वर्षों में भाग लिया हो (डी0आई0ओ0एस0 / आर0आई0ओ0एस0 / डी0डी0ओ0 द्वारा दिये गये मूल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)। Such players who have taken part in the inter-regional competitions on behalf of regional team after being selected at the district level in the last two years (the original certificates given by the DIOS/ RIOS / DDO will be acceptable).
b.	ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अन्तर-प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रतियोगितायें आधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हो। इन प्रतियोगिताओं के राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे। Such players who have represented Uttar Pradesh in national or inter-state



	competitions in last two years and the competitions have been organized by State Sports organization recognized by the authorities. The certificates given by the organizers of Govt. organizations of these competitions will be acceptable.
c.	<p>नोट-</p> <p>1. केवल वही खिलाड़ी अर्ह होंगे जिन्होंने ऐसी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो, जिनकी सुविधा लखनऊ विश्वविद्यालय में उपलब्ध है तथा जिन्हें विश्वविद्यालय संघ (खेलकूद विभाग) नई दिल्ली या राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है।</p> <p>2. खेल एवं विकलांग भारण/आरक्षण लेने हेतु अभ्यर्थियों को एक स्पोर्ट्स बोर्ड मेडिकल बोर्ड के समया उपस्थित होना होगा जो अभ्यर्थी इन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे उनके प्रवेश हेतु खेल एवं विकलांग भारण/आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी और उनका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में स्वीकार होगा स्पोर्ट्स बोर्ड/मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की सूचना केवल महाविद्यालय की बेबसाइट पर ही दी जायेगी।</p> <p>Note:</p> <p>1. Only those players are eligible who have taken part in such sports competitions for which facility is available in University of Lucknow and which are recognized by University Union (sports department), New Delhi or National institutions.</p> <p>2. For getting sports and handicapped weightage/ reservation, candidate will have to be present before the sports/medical board. The candidate, who does not appear before these boards, will not be provided the sports and handicapped weightage/ reservation for admission and his/her admission form will be considered as of general category. Information in this regard will be given only on College website.</p>



4. PROGRAMS AVAILABLE

4.1 FACULTY OF ARTS कला संकाय

Course	Duration	Seats
B.A. (NEP) 4 YEAR PROGRAMME	8 Semesters	880
B.A. (NEP) (SF) 4 YEAR PROGRAMME	8 Semesters	200

योग्यता / Eligibility

इंटरमीडिएट या समक परीक्षा में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अनिवार्य है। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांको पर आधारित है।

The minimum marks required for General and Other Backward Classes candidates is 40% in Intermediate or equivalent examination and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 33% in Intermediate or equivalent examination. This percentage is based upon total marks of all the subjects

सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए बीए (एनईपी) 4 वर्षीय कार्यक्रम में सीट आवंटन के लिए प्रस्तावित मानदंड।

The criterion proposed for the seat allotment in BA (NEP) 4 YEAR PROGRAMME for admission for the session 2022-23.

The number of seats in each subject shall be divided as per the following criterion

1. (2/3)rd of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the Major subjects.
2. Remaining (1/3)rd of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the minor subject.
3. The student will have to choose 2 Major subjects from groups A, B, C, D, E, F, G, H (one subject from either of the group)
4. One Minor subject will be allowed to be chosen from any group under Minor subjects except the groups from which major subject has been chosen as Major subjects with following restrictions the subjects which has been chosen as major subject cannot be chosen as minor subject.



Group	Subject	Seats per Subject	Seats for Major 1 and Major 2 Subjects	Seats for Minor Subjects
A	HINDI	480	320	160
B	ENGLISH	300	200	100
C	SANSKRIT	60	40	20
D	ANCIENT INDIAN HISTORY(AIH)	240	160	80
	ARAB CULTURE	60	40	20
	HISTORY(MIH)	180	120	60
	MATHEMATICS	60	40	20
E	ECONOMICS	300	200	100
F	PHYSICAL EDUCATION	240	160	80
G	POLITICAL SCIENCE	270	180	90
H	SOCIOLOGY	480	320	160
	ANTHROPOLOGY	60	40	20
	EDUCATION	240	160	80

नोट-

विषयों का आवंटन योग्यताक्रमानुसार चयनित विकल्पों में से किया जाएगा, किन्तु शर्त यह है कि:

- इतिहास / अरब कल्चर / प्राचीन भारतीय इतिहास एवम गणित विषयों में से कोई एक विषय ही लिया जा सकता है।
- दो से अधिक साहित्य (विषय के रूप में) लेने की अनुमति नहीं है।
- समाजशास्त्र एवम मानवशास्त्र में केवल एक ही विषय का चयन किया जा सकता है।
- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद तथा नदवा कालेज, लखनऊ से इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
- गणित विषय लेने के लिए इण्टरमीडिएट में गणित होना आवश्यक है।
- अध्यापक, मेरिट एवं अन्य सुविधाओं के अनुपात में ही छात्रों को विषय आवंटित किया जा सकेगा।



4.2 FACULTY OF COMMERCE वाणिज्य संकाय

Course	Duration	Seats
B.Com. (NEP) 4 YEAR PROGRAMME	8 Semesters	880
B.Com.(SF) (NEP) 4 YEAR PROGRAMME	8 Semesters	200
B.Com. (Hons)(SF)	6 Semesters	60

योग्यता / Eligibility

वाणिज्य में इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अथवा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इण्टरमीडिएट सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अनिवार्य है। B.Com (Hons) में सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 60% अंक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 55% अनिवार्य है। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है।

Intermediate or equivalent examination with commerce or Intermediate with economics or mathematics as one of the subjects of study. For General and Other Backward Classes candidates must have secured atleast 40% marks and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes minimum number of marks obtained should be 33%. In B.Com. (Hons) for General and Other Backward Classes candidates must have secured atleast 60% marks and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes minimum number of marks obtained should be 55%. The percentage are based on total marks of all subjects

नोट-

- इण्टरमीडिएट जीवविज्ञान / कृषि विषय में उत्तीर्ण छात्र बी0काम0 में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- इण्टरमीडिएट में गणित या अर्थशास्त्र विषय में उत्तीर्ण छात्र बी0काम0 में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
- इण्टरमीडिएट में लेखांकन / अर्थशास्त्र विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो वे छात्र बी0काम0 में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- इण्टरमीडिएट में व्यवसायिक विषयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक बी0काम0 में प्रवेश के लिये मान्य नहीं होंगे।



4.3 FACULTY OF SCIENCE विज्ञान संकाय

4.3.1 बी एस सी गणित वर्ग / B.Sc. (Mathematics Group)

Course (4 YEARS PROGRAMME)	Duration	Seats
B.Sc. Maths (NEP)	8 Semesters	300
B.Sc. Maths with Computer Science (NEP) SF	8 Semesters	60
B.Sc. Maths with Statistics (NEP) SF	8 Semesters	60

SrNo	Group	Subjects
1	PCM	Physics, Chemistry, Mathematics
2	PMG	Physics, Mathematics, Geology
3	PMCS	Physics, Mathematics, Computer Science (Self Finance)
4	PMS	Physics, Mathematics, Statistics (Self Finance)

योग्यता / Eligibility

इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अनिवार्य है। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांको पर आधारित है।

Intermediate Science (with Mathematics group) or equivalent examination. For General and Other Backward Classes candidates must have secured atleast 40% marks and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes minimum number of marks obtained should be 33% based on total marks of all subjects.

The criterion proposed for the seat allotment for admission in B.Sc. (Maths Group) for the session 2022-23.

1. The number of seats in each subject shall be divided in two parts (Major and Minor)
2. $(2/3)^{rd}$ of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the Major subjects
3. The remaining $(1/3)^{rd}$ of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the minor subject
4. The student will have to choose 2 Major subjects from groups A, B, C (one subject from either of the group).
5. One Minor subject will be allowed to be chosen from any group except the Major subjects has already been chosen that the subject which has been chosen as major subject cannot be chosen as minor subject.



Group	Subject	Seats per Subject	Seats for Major 1 and Major 2 Subjects	Seats for Minor Subjects
A	MATHS	420	280	140
B	PHYSICS	420	280	180
C	CHEMISTRY	270	180	90
	GEOLOGY	30	20	10
	COMPUTER SCIENCE (SF)	60	40	20
	STATISTICS (SF)	60	40	20

4.3.2 बी एस सी बायो वर्ग / B.Sc. (Bio Group)

Course (4 YEARS PROGRAMME)

B.Sc. Bio (NEP)

Duration

8 Semesters

Seats

420

SrNo	Group	Subjects
1	ZBC	Zoology, Botany, Chemistry
2	ZBG	Zoology, Botany, Geology
3	ZGA	Zoology, Geology, Anthropology

योग्यता / Eligibility

इण्टरमीडिएट विज्ञान (जीव वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अनिवार्य है। यह प्रति शत समस्त विषयों के प्राप्तांको पर आधारित है।

Intermediate Science (with Bio group) or equivalent examination. For General and Other Backward Classes candidates must secure atleast 40% of marks and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes minimum number of marks obtained should be 33% based on total marks of all subjects.

The criterion proposed for the seat allotment for admission in B.Sc. (Maths Group) for the session 2022-23.

1. The number of seats in each subject shall be divided in two parts (Major and Minor)
2. $(2/3)^{rd}$ of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the Major subjects



3. The remaining (1/3)rd of the total number of sanctioned seats in each subject shall be given under the minor subject
4. The student will have to choose 2 Major subjects from groups A, B, C (one subject from either of the group).
5. One Minor subject will be allowed to be chosen from any group except the Major subjects has already been chosen that the subject which has been chosen as major subject cannot be chosen as minor subject The student can choose Group E which will be allotted as per merit.

Group	Subject	Seats per Subject	Seats for Major 1 and Major 2 Subjects	Seats for Minor Subjects
A	ZOOLOGY	420	280	140
B	BOTANY	410	273	137
C	CHEMISTRY	380	253	127
	GEOLOGY	40	27	13
	ANTHROPOLOGY	10	07	03

4.4 FACULTY OF LAW विधि संकाय

Course (3 YEARS PROGRAMME)
LL.B.

Duration
6 Semesters

Seats
320

योग्यता / Eligibility

एक उम्मीदवार जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो और कम से कम 45% अंको के साथ (सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लिए) और 40% अंको के साथ (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए) 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत स्नातक परीक्षा पास की हैं। स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा 2021-22 में सम्मिलित होने वाले छात्र भी एलएलबी में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते उन्हें योग्यता सूची की घोषणा से पहले स्नातक परीक्षा के अपने अंक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

A candidate who has obtained a bachelor degree or equivalent degree in any stream from a recognised university and has secured not less than 45% marks (for General and OBC category) and 40% marks (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in 10+2+3 pattern in qualifying examination. Students appearing in 2021-22 final year graduation examination may apply for admission to LL.B. program provided they have to upload their marks of qualifying examination online before **declaration** of merit list.



एल. एल. बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियम

Rules for Admission in – LL.B. Program

- एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आयु सीमा लखनऊ विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होगी।

The age limit for admission to LL.B. first semester shall be as per Lucknow University Rules & Bar Council of India.

- यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के अंक प्रतिशत स्नातक परीक्षा में समान हैं, तो उस स्थिति में इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्रवेश के लिए योग्यता का मापदंड होगा और यदि इंटरमीडिएट परीक्षा में भी उम्मीदवारों के अंक समान हैं तो उस स्थिति में हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण का मापदंड होगा।

If the marks obtained at the Graduation examination by two or more candidates are the same, in that case the percentage of marks secured by the candidate at the Intermediate examination will be the determining factor of merit for admission and if the percentage at the Intermediate level is also the same, the percentage of marks obtained at the High School Examination will be the determining factor of merit for admission.

- यदि हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के अंक प्रतिशत समान हैं, तो उस स्थिति में आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को मेरिट सूची में वरीयता दी जाएगी।

If the marks obtained at High School or equivalent examination by two or more candidates are same, in that case the candidate senior in age will get preference in the merit list.

- यदि योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में आवेदन करने के वर्ष के बीच एक या एक से अधिक वर्षों का अन्तराल है। तो प्रत्येक अंतराल वर्ष के लिए अर्हक डिग्री के प्रतिशत से 02 प्रतिशत अंक काटे जाएंगे और जो अधिकतम 6% प्रतिशत तक होगा।

If there is a gap of one or more years between the year of passing of qualifying examination and the year of making application for admission to LL.B. first semester, 02 percent marks shall be deducted for each gap year from the percentage of qualifying degree subject to maximum 6%.

- यदि किसी अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा की निरंतरता में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की दो वर्षीय अवधि को अंतराल के रूप में नहीं माना जाएगा।

For a candidate passing Post-Graduate Examination in continuation of the qualifying examination, the time of Post Graduate Examination of two years will not be treated as gap.



- पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क: - लखनऊ विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार
Admission Fee for the Course: - As per Lucknow University Norms
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम (भाग-IV नियम-12) , के तहत छात्रों को प्रत्येक विषय में व्याख्यान का न्यूनतम 70% उपस्थिति देना आवश्यक है।

Vide the Bar Council of India Rule (Part-IV Rule-12), the students are required to put in the minimum attendance 70% of the lectures in each of the subjects.

- अध्ययन के दो नियमित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण पर रोक: विधि के किसी भी छात्र को किसी अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या यहां तक कि लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक या व्यावसायिक संस्थान द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स के साथ डिग्री प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Prohibition to register for two regular courses of study: No students shall be allowed to register for law degree program with any other graduate or post graduate degree/diploma or even a certificate course run by Lucknow University or anyother University or an Institute for academic or professional learning.

- उपस्थिति: विधि के किसी भी छात्र को सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आयोजित कक्षाओं में उसकी उपस्थिति 75% से कम है, साथ ही मूट कोर्ट रूम अभ्यास, ट्यूटोरियल और विषय में आयोजित व्यावहारिक अभ्यास भी एक साथ लिया गया है। यदि कोई छात्र किसी अपवाद के कारण किसी भी विषय की 75% कक्षाओं में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो कॉलेज के प्राचार्य छात्र को परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं यदि संबंधित छात्र ने आयोजित कक्षाओं में कम से कम 70% भाग लिया हो।

Attendance: No student of LL.B. program shall be allowed to take the end semester examination if the student concerned has not attended minimum of 75% of the classes held as also the moot court room exercise, tutorials and practical conducted in the subject taken together. Provided that if a student for any exceptional reason fails to attend 75% of the classes held in any subject, the Principal of the college may allow the student to take the test if the student concerned attended atleast 70% of the classes held in all subjects taken together.

- महाविद्यालय विधि संकाय में सहशिक्षा है। प्रवेश के इच्छुक पुरुष/ महिला अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे के बीच चलेगा।

There is provision for co education in the faculty of Law. Both male and female



candidates can apply for admission to LL.B. 3 year degree program. The classes in the college are conducted between 10:00 am to 5:00 pm.

- सेवायोजित अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले दिन के समय कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (छायाप्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

In-service candidates are required to submit No objection certificate at the time of admission counseling from their employer in order to attend the full time day classes failing which their application will stand automatically cancelled.

- उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से संबंधित आवेदक को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित चरित्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicant belonging to a state other than state of Uttar Pradesh is required to furnish character and Domicile Certificates certified by district magistrate / additional district magistrate of his/her district, otherwise his/her application will not be considered.

- यूनिफार्म: महाविद्यालय में विधि के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से निर्धारित यूनीफार्म (सफेद कमीज एवं काली पैंट, सर्दियों में काला ब्लेजर/स्वेटर) । परन्तु छात्राएँ सफेद कमीज एवं सफेद शलवार में महाविद्यालय में आ सकेंगी।

Uniform: The law students are required to come to the college for attending classes in prescribed uniform (for all, white shirt and black trouser, in winter black blazer/ sweater). However, girl students may wear white shirt and white salwar.

- अधिभावी प्रभाव: प्रासंगिक यूजीसी/बीसीआई/लखनऊ विश्वविद्यालय नियम (समय-समय पर संशोधित) कॉलेज के लिए बाध्यकारी होंगे। इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में सभी विवादों को कॉलेज की प्रवेश समिति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

Overriding Effect: The relevant UGC/BCI/Lucknow University Rules (as amended from time to time) shall be binding on the College. All disputes regarding interpretation of provisions of this Ordinance shall be referred to Admission Committee of the College, whose decision shall be final.

प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय अपेक्षित प्रमाण पत्र / दस्तावेज

CERTIFICATES/ DOCUMENTS REQUIRED AT THE TIME OF COUNSELING

- आवेदन पत्र 02 प्रतियों में
- बैंक में जमा की गयी कोर्स फीस की मूल रसीद
- हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र



- स्नातक की अंकतालिका
- आरक्षण सम्बन्धी कम्प्यूटरीकृत प्रमाणपत्र
- भारण सम्बन्धी प्रमाणपत्र
- चरित्र प्रमाणपत्र मूल प्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- नियोजित होने की दशा में नियोजक का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रथम सेमेस्टर से षष्ठम सेमेस्टर तक प्रत्येक बार प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है।
- अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म के साथ ही प्रवजन (Migration Certificate) प्रमाण पत्र भी जमा करना अति आवश्यक है अन्यथा वार्षिक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

4.5 बी.पी.एड. / BACHLOR IN PHYSICAL EDUCATION

Course

B.P.Ed. (Self Finance)

Duration

4 Semesters

Seats

50

योग्यता / Eligibility

- बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु आयु प्रवेश के वर्ष के 1 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

For B.P.Ed., age as on July 1 of the year of admission must not be more than 25 years as per High School Certificate.

- उम्मीदवारों को निम्नलिखित अहंताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा
Candidates have to fulfill any one of the following criterion:
- 50% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू / आईओए / एसजीएफआई / भारत सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त खेल-कूद में अंतर-कॉलेज / अंतर क्षेत्रीय / जिला / स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

Bachelor's degree in any discipline with 50% marks and having at least participation in the inter college/Inter zonal/ District School competition in sports and games as recognised by the AIU/IOA/SGFI/Govt. of India.

- 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री |
Bachelor's degree in Physical Education with 45% marks.



- 45% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय / वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।
Bachelor's degree in any discipline with 45% marks and studied Physical Education as one compulsory/elective subject.
- 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय / अंतर विश्वविद्यालय / राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू / आईओए / एसजीएफआई / भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेल-कूद में अंतर कॉलेज / अंतर क्षेत्रीय / जिला / स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
Bachelor's degree with 45% marks and having participated in National/Inter University/State Competitions or secured 1st, 2nd or 3rd position in inter college/inter zonal/ District School competition in sports and games as recognized by the AIU/IOA/SGFI/Govt. of India.
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबन्धित संघों / एआईयू / एसजीएफआई / भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेल-कूद में राष्ट्रीय / अंतर- विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
Bachelor's degree with participation in International competitions or secured 1, 2 or 3 position in National Inter-University competition in sports and games as recognized by respective federation/AIU/OA/SGFI/Govt. of India.
- 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक / कोच)
Graduation with 45% marks and atleast three years of teaching experience (for deputed in-service candidates i.e. trained Physical Education Teachers/ Coaches).
- अनसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए अर्हक अंकों में सीटों में आरक्षण और शिथिलता केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी लागू हो प्रदान की जाएगी। The reservation in seats and relaxation in qualifying marks for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable.

प्रवेश प्रक्रिया Admission Procedure

The admission to the courses is done on the basis of the marks obtained in the entrance exam and physical test. The written test includes questions on the basis of the syllabus of



qualifying bachelor of physical education course The entrance test will comprise of 100 multiple choice questions to be answered in 90 minutes. This will be followed by a physical fitness test. Final merit will be out of 160 marks details of which are given below (As per NCTE guidelines, Sports certificate is compulsory for B.P.Ed. admissions).

Entrance- Test

All eligible candidates who apply in time are required to appear in B.P.Ed. Entrance Test at their own expense. This test includes Written test, Physical Fitness test, Games Representation and Interview. Entrance Exam carries total 100 marks. The division of

Total Marks is as under-

(a) Written Test: (30 Marks)- An objective type written test of 01 Hour duration covering questions of General Knowledge and Sports Awareness.

(b) Physical Fitness Test (48 Marks) - Modified AAPHER Test

1	50 M Dash	For Boys & Girls	08
2	4 x 10 M. Shuttle Run	For Boys & Girls	08
3	600 M. Run	For Boys & Girls	08
4	Sit Ups	For Boys & Girls (One minute)	08
5	Chin Ups	For Boys (maximum Chin Ups)	08
	Flexed Arm Hang	For Girls (Hang as long possible)	
6	Standing Broad Jump	For Boys & Girls	08

(c) Games Representation (15 Marks) -

Sports representation marks will be given to only those games listed in the A.I.U. List and the representation should be within last 3 years. Games representation made before year 2015 will not be considered in this section.

1	International Participation				15 Marks
2	Senior National Competition OR Inter University Competition	First Place			14 Marks
			Second Place		13 Marks
				Third Place	12 Marks
3	Inter University Participation				10 Marks



4	Junior National Competition OR Inter University- Zone Competition	First Place			09 Marks
			Second Place		08 Marks
				Third Place	07 Marks
5	Inter Collegiate Competition	First Place			06 Marks
			Second Place		04 Marks
				Third Place	02 Marks

d) Interview: (07 Marks) - The interview is to assess personality, subject knowledge, teaching potential and expression.

Note: Candidates must bring all Certificates in Original (Academics & Sports) at the time of interview.

Distinguished Features of B.P.Ed. Course

- Full Time, Regular Teacher Training Program
- Co- Education Program
- Recognized by N.C.T.E. & Affiliated to University of Lucknow
- Qualified and Experienced Faculties

Summer Camp

Every year Department organizes free (without any cost) Summer Sports camp for the students who want coaching and match practice in Football, Volleyball, Kabaddi, Kho-Kho, Athletics.

Placement

Every year almost all the Students (B.P.Ed.) of our department get placement in various Government/Private schools of Central Government/State Governments. In current session 05 students have got their Appointment letters from D.P.S., L.P.S. and C.M.S. of Lucknow.

Internship Training

Students of our department are doing their Internship teaching in Khalsa Inter College Lucknow, D.A.V. P.G. College Lucknow, Dainik Jagran School Lucknow and Mahatma Gandhi Inter College Alambagh Lucknow.



Awards

- **Girija Shankar Trivedi Award:** This Award is given to the student of the college who get highest marks in B.P.Ed. Examination. Instituted by Shri G.S. Trivedi.
- **Smt. Srijanpati Devi Smriti Padak** (Best Sports Person Award - Boys): Instituted by Dr. Rajesh Kumar Tiwari
- **Shri Raja Ram Bajpai Smriti Padak** (Best Sports Person Award - Girls): Instituted by Dr. D. P. Bajpai

Co-Curricular activities

Following activities are run in the college throughout the academic session for all round development of the students-

- **Academic-** Demonstration Activities, Seminars, Workshops, Guest Lectures etc.
- **Cultural-** Abhinav, Abhigyan, Abhyudaya, Abhyutthaan, Medha Samvardhan, Divyankur etc.

Facilities of Department

Academic Infrastructure Includes

- Well Equipped Class Rooms
- Multipurpose Hall
- Seminar Room
- AC Smart Classrooms
- Advance Computer Centre
- Well Equipped Library

Sports Infrastructure Includes

- **Multipurpose Play Ground** – 200 M. Track & Field, Football Ground, Hockey Ground, Hand Ball Ground, Kho-Kho & Kabaddi Courts and Cricket Pitch.
- **Indoor Badminton Hall-** Wooden Floor Badminton Court
- **Hall for indoor sports-** Indoor games facilities likes, Table Tennis, Carom and Chess, etc.
- **Hall for Yoga practice**
- **Gymnastic Hall-** Fully equipped Professional Gymnasium, with modern exercise equipment's.
- **Medical Centre-** In-campus medical OPD and emergency services along with provision of regular medical check-ups.



4.6 BACHLOR IN BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL BUSINESS)

Course (3 YEARS PROGRAMME)
B.B.A. - International Business (NEP)

Duration
6 Semesters

Seats
60

Course Objective: The objective of this course is to help the students acquire an understanding of various business activities having an international exposure and a slightly broader outlook. Course Detail: This particular course of BBA (International business) focuses on making students aware of various international trade activities, the role of business regulatory bodies in our country and the functioning of entities like WTO, NAFTA, AFTA among others. This course is accompanied by international exposure and understanding of various subjects like marketing, accounting, etc. It is a comprehensive course having a broader outlook of domestic market scenario as well as an improved global orientation.

Eligibility: Intermediate or equivalent examination for General and Other Backward Classes candidates must secure at least 50% of marks and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes minimum number of marks obtained should be 45% based on total marks of all subjects.



Postgraduate Admission Guidelines

परास्नातक स्तर

(प्रवेश मेरिट के आधार पर)

- एम0 ए0 (हिन्दी / अंग्रेजी / समाजशास्त्र / अर्थशास्त्र): स्ववित्तपोषित सीट
- एम0 कॉम0 (व्यावहारिक अर्थशास्त्र / प्योर कामर्स): स्ववित्तपोषित सीट
- एम0 एस0 सी0 (भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / वनस्पति शास्त्र) : स्ववित्तपोषित सीट

प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल तथा छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:—

- आवेदनपत्र 02 प्रतियों में
- बैंक में जमा की गयी कोर्स फीस की मूलरसीद
- हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र
- स्नातक की अंकतालिका
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म के साथ ही प्रवजन (**Migration Certificate**) प्रमाण पत्र भी जमा करना अति आवश्यक है अन्यथा वार्षिक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

एम0ए0—

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • एम.ए. (हिन्दी) | उपलब्ध स्थान — 60 |
| • एम.ए. (अंग्रेजी) | उपलब्ध स्थान — 50 |
| • एम.ए. (समाजशास्त्र) | उपलब्ध स्थान — 50 |
| • एम.ए. (अर्थशास्त्र) | उपलब्ध स्थान — 50 |

एम0काम0—

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • एम.काम. (कॉमर्स) | उपलब्ध स्थान — 60 |
| • एम.काम. (एप्लाइड इकोनोमिक्स) | उपलब्ध स्थान — 60 |



एम0 एस0 सी0—

- एम0 एस0 सी0 (भौतिक शास्त्र) उपलब्ध स्थान —30
- एम0 एस0 सी0 (रसायन शास्त्र) उपलब्ध स्थान —30
- एम0 एस0 सी0 (वनस्पति शास्त्र) उपलब्ध स्थान —30

For Faculty of Arts:

- In case the candidate seeks admission in the subject, which he/she has studied in the all three years of graduation the eligibility will be minimum 45% of marks.
- In case the candidate seeks admission in the subject, which he/she has studied in the first two years of graduation but not in the final year, the eligibility will be minimum 55% of marks.
- In case the candidate seeks admission in the subject which he/she has not studied in any year of graduation, eligibility will be minimum 60% of marks.
- In case the eligibility in the subject is “Any Graduate” the candidate has to obtain minimum 50% of marks in graduation. This applies to subjects which are not available in University of Lucknow at graduation level.

Fee Structure

Registration fee 800/-

Regular Courses for session 2022

SR NO	CLASS	YEAR-1		YEAR-2		YEAR-3	
		SEM-I	SEM-II	SEM-III	SEM-IV	SEM-V	SEMVI
1	BA	3620	1600	3705	2200	3705	2200
2	BCOM	4120	2100	4205	2700	4205	2700
3	BSC-BIO	4990	2100	5075	2700	4835	2700
4	BSC-MATHS	4750	2100	4835	2700	4595 SINGLE PRACTICAL	2700
5	LL.B.	5566+Enroll Fee	4108	5651	4108	7151	6608
6	B.ED.	9935+Enroll Fee		9870			

Self Finance Courses for session 2022

SR NO	CLASS	YEAR-1		YEAR-2		YEAR-3	
		SEM-I	SEM-II	SEM-III	SEM-IV	SEM-V	SEMVI
1	BA	8075	5600	7175	5700	7175	5700
2	BSC-MATHS(C.S.)	15555	2600	14650	2700	14400	2700
3	BSC(STATISTICS)	13055	2600	12140	2700	11900	2700
4	BCOM	10500	7600	9500	7700	9500	7700
5	BCOM(HONS)	20500	20500	20500	20500	20500	20500
6	BBA(IB)	24575	24525	24575	24525	24575	24525
7	MA HINDI	6575	6525	6575	6525		
8	MA ENGLISH	9550	9550	9550	9550		
9	MA SOCIOLOGY	9550	9550	9550	9550		
10	MA ECONOMICS	9550	9550	9550	9550		
11	MSC BOTANY	14050	14050	14050	14050		
12	MSC CHEMISTRY	14050	14050	14050	14050		
13	MSC PHYSICS	14050	14050	14050	14050		
14	MCOM APPLIED ECONOMICS	12500	12500	12500	12500		
15	MCOM PURE COMMERCE	12500	12500	12500	12500		
16	B.P.ED.	20000	19575	20000	19575		

चेतावनी

महाविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि:

- बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे।
- किसीभी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर दे।
- यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं अथवा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटि वश प्रवेश पाता है तो जिस समय भी ये तथ्य उद्घाटित होंगे, यह उसका दुष्कृत्य माना जायेगा एवं उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।
- प्रवेश से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।
- प्राचार्य का निर्णय प्रवेश के विषय में अंतिम निर्णय होगा।

आवश्यक निर्देश

- महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा नहीं है। प्रवेश मिलने पर छात्र को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सहशिक्षा की व्यवस्था है। अतः सभी कक्षाओं में छात्र एवं छात्राएं दोनों प्रवेश ले सकते हैं।
- नियमानुसार छात्र/छात्राओं की अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र/छात्राओं की कक्षा में इससे कम उपस्थिति होगी वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह नहीं होंगे।
- अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राएं व अनुचित साधन (U.F.M.) में का प्रयोग करते पकड़े गये छात्र/छात्रा का पुनः प्रवेश नियमित छात्र के रूप नहीं होगा।
- जो अभ्यर्थी कहीं नौकरी में होंगे उन्हें नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- उत्तर प्रदेश शासन/निदेशालय/ल.वि.वि. द्वारा सत्र के मध्य में यदि शुल्क में संशोधन किया जाता है तो छात्र को संशोधित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से निर्धारित यूनीफार्म में महाविद्यालय आना होगा।
 - गर्मियों के लिए
 - लड़कों के लिए यूनीफार्म—सफेद कमीज एवं ग्रेपैन्ट
 - लड़कियों के लिए यूनीफार्म—ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टा
 - सर्दियों के लिए उपरोक्त के साथ ब्लू ब्लेजर/ब्लू स्वेटर।
- महाविद्यालय परिसर में आपके पास महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए। परिचय पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जा सकेंगी।
- परिसर में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपको महाविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- परिसर में या अध्ययन कक्ष में धूम्रपान, पान मसाला/तम्बाकू खाना वर्जित है। परिसर या कक्ष को गन्दा करना दण्डनीय है। धूम्रपान, पान मसाला/तम्बाकू खाते हुये पाये जाने पर दो सौ रुपये आर्थिक दण्ड भी देना होगा।
- परिसर में वैध/अवैध शस्त्र लाना वर्जित है।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति को तोड़ना या नष्ट करना एक गम्भीर अपराध है। इसके लिये सम्बन्धित छात्र



को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

- परिसर के अन्दर साइकिल या अन्य वाहन लाना वर्जित है। अपने वाहन को महाविद्यालय के साइकिल स्टैंड के अन्दर ही खड़ा करें।
- परिचय पत्र एवं फीस रसीद खो जाने की स्थिति में 100रु0 शुल्क कैशियर आफिस में जमाकर , पुनः दूसरा परिचय पत्र अथवा फीस रसीद प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर आगामी सेमेस्टर/कक्षा में फीस जमा कर प्रवेश लेना अनिवार्य है। अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गमित नियमों के अनुसार प्रभावी होगा और स्नातक/परास्नातक कक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय यदि परिवर्तित किया जाएगा तो उसकी सूचना नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की वेबसाइट www.jnpg.org.in पर लगा दी जायेगी।
- अन्य विश्वविद्यालयों से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नामांकन शुल्क रु. 500/- अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वह वरीयता सूची में आ गया है तथा सही शुल्क जमा कर रहा है।

Add-on Courses

(छात्रोपयोगी-रोजगार परक विभिन्न शैक्षिक योजनायें)

- CCC (NIELIT)

Duration: 3 Months

Fee: Rs. 3500.00 (Proposed)

- Add-on Certificate Course in Computer Application
- Add-on Certificate Course in Computerized Accounting
- Add-on Certificate Course in Sales & Marketing Management
- Add-on Certificate Course in Communication Skills & Personality Development

Duration: 3 Months

Fee: Rs. 2000.00 for each course



चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बंधी फीस जमा करने के बाद निर्धारित दिनांक पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी अन्यथा उसका चयन महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। फीस जमा करने मात्र से आपका प्रवेश सुनिश्चित नहीं माना जायेगा।

चेतावनी

रैगिंग एक अपराध है। इसमें लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Ragging is an offence and strict disciplinary action will be taken against the students found indulged in this act.

महाविद्यालय की निर्देशिका महाविद्यालय की वेबसाइट www.jnpg.org.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क रु0 800/- में जमा कर लें उसकी मूल रसीद प्रवेश के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

Important dates

- On-Line Application form for New Registration from **5th April 2022.**
- Last date for New Registration is 30 June 2022.

नोट: प्रवेश के संबंध में अंतिम तिथियों की घोषणा, प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता के परीक्षा परिणाम आने के उपरांत एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित की जायेगी।